राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4874/2017

1. ईश्वर सिंह चौहान पुत्र नरपरत सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम-बड़ा तालाब, पोस्ट-मानपुर, तहसील सलूम्बर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

2. संजय कलाल पुत्र मणि लाल कलाल, जाति कलाल, निवासी ग्राम-बस्सी समचोट, तहसील-सलूम्बर, जिला उदयपुर राजस्थान।

3. दौलत सिंह राजपूत पुत्र साव सिंह राजपूत, जाति राजपूत, निवासी ग्राम-महादेव खेड़ा, पोस्ट-बस्सी समचोट, तहसील-सलूम्बर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

4. भूपेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र उदय सिंह चुण्डावत, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सलैया, पोस्ट-टोडा, तहसील-सलूम्बर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

5. सुरेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र राम सिंह राठौड़, ग्राम रामपुर, पोस्ट- टोकर, तहसील- ऋषभदेव, जिला-उदयपुर राजस्थान।

6. जीतेन्द्र सिंह चौहान पुत्र देवी सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम-इमानिया पाड़ला, पोस्ट-इंटाली खेड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

7. फतेह सिंह चौहान पुत्र देवी सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम-इमानिया पाड़ला, पोस्ट-इंटाली खेड़ा, तहसील सलूम्बर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

8. विक्रम सिंह राठौड़ पुत्र वखत सिंह राठौड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम-बामनिया, तहसील-सलूम्बर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

(30/05/2025 को सुबह 08:47:03 बजे डाउनलोड किया गया)

9. भंवर सिंह चौहान पुत्र दुर्जन सिंह चौहान, जाति राजपूत, निवासी गांव-दलावत वाडा भबराना, तहसील-सलूंबर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

10. तेज पाल सिंह चौहान पुत्र राम सिंह चौहान, जाति राजपूत, निवासी ग्राम-अमनिया पाडला, पोस्ट-इंटाली खेड़ा, तहसील-सलूम्बर, जिला-उदयपुर राजस्थान।

11. राकेश कुमार पटेल पुत्र हीरा लाल पटेल, जाति पटेल, निवासी ग्राम - बनोदा, तहसील - सलूम्बर, जिला - उदयपुर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, उप शासन सचिव, ग्रुप-1, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

3. महानिदेशक पुलिस, रेंज उदयपुर राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आर.एस. राठौर।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री ऋतु राज सिंह भाटी उर्फ श्री राज सिंह भाटी।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

16/12/2024

(30/05/2025 को सुबह 08:47:03 बजे डाउनलोड किया गया)

1. याचिका कर्ता इस न्यायालय के समक्ष प्रति वादियों को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि वे टीएसपी और शहरी (सहरिया) उम्मीदवारों के लिए विशेष कांस्टेबल भर्ती, 2016 के परिणाम को संशोधित करें और उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सूची से हटा दें जिन्होंने अपनी-अपनी आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आयु में छूट का लाभ उठाया है। इसके अलावा, याचिका कर्ता सामान्य महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त सीटों को सामान्य पुरुष उम्मीदवारों से भरने के निर्देश चाहते हैं।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 प्रति वादियों ने टीएसपी एवं नगरीय (सहरिया) अभ्यर्थियों के लिए विशेष कांस्टेबल के पद हेतु दिनांक 10/02/2016 को एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन के अनुसार, तथा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के भाग-III के प्रावधानों के अनुसार, कांस्टेबल भर्ती, 2013 के अंतर्गत रिक्त पदों के अनुसरण में सामान्य कांस्टेबल एवं कांस्टेबल चालक के 742 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता, पात्रता आदि का विवरण पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने स्थायी आदेश संख्या 01/2016 दिनांक 14/01/2016 में विस्तार से दिया गया है।

2.2. दिनांक 10/02/2016 के विज्ञापन, खंड 5, नोट-1 के अनुसार, जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के अनारक्षित पद केवल स्थानीय निवासियों द्वारा ही भरे जा सकते हैं। टीएसपी और शहरी (सहरिया) अभ्यर्थियों के लिए विशेष कांस्टेबल भर्ती, 2016 के लिए पात्र होने तथा स्थानीय निवासी होने के नाते, याचिका कर्ताओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था।

2.3. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर कार्यालय द्वारा दिनांक 14/01/2016 को एक स्थायी आदेश संख्या 01/2016 जारी किया गया। इस स्थायी आदेश में, टीएसपी एवं शहरी (सहरिया) अभ्यर्थियों के लिए विशेष कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया प्रकाशित की गई थी।

(30/05/2025 को सुबह 08:47:03 बजे डाउनलोड किया गया)

2.4. स्थायी आदेश संख्या 01/2016 के खंड 1 के अनुसार, रिक्त रह गए पद जो बारां जिले के शहरी (सरिया) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे (राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या पी-13 (20) कार्मिक/डी-2/91 भाग दिनांक 21/05/2013 के अनुसार आरक्षण) और टीएसपी क्षेत्र के उम्मीदवारों (राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13(20) डीओपी/ए-II/91/भाग दिनांक 16/06/2013 के अनुसार आरक्षण) को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा टीएसपी और शहरी (सरिया) रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती में शामिल किया जाएगा।

2.5. प्रतिवादी विभाग ने 21/08/2016 को लिखित परीक्षा आयोजित की और लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया। सभी याचिका कर्ता लिखित परीक्षा में चयनित हुए। प्रतिवादी विभाग ने याचिका कर्ताओं को 28/02/2017 को आयोजित होने वाले शारीरिक परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। उन्होंने 28/02/2017 को आयोजित शारीरिक परीक्षण में भाग लिया और शारीरिक परीक्षण में योग्य पाए गए।

2.6. प्रतिवादी विभाग ने टीएसपी और शहरी (सरिया) उम्मीदवारों के लिए विशेष कांस्टेबल भर्ती, 2016 का परिणाम घोषित किया। उक्त परिणाम न्यायालय के सामान्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन था, जो उम्मीदवारों को दोहरा लाभ देने पर रोक लगाते हैं। विशेष रूप से, यदि किसी उम्मीदवार को पहले से ही एक श्रेणी में लाभ मिल चुका है, तो उसकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी या किसी अन्य श्रेणी में नहीं मानी जा सकती। कुछ उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणियों (एससी/एसटी) में आयु लाभ प्राप्त हुआ था और वे केवल उन्हीं श्रेणियों में भाग लेने के पात्र थे। हालाँकि, प्रतिवादी विभाग ने इनमें से कुछ उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में सफल घोषित कर दिया, जिससे न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

(30/05/2025 को सुबह 08:47:03 बजे डाउनलोड किया गया)

2.7. प्रतिवादी विभाग ने अपनी ही दिनांक 10/02/2016 की अधिसूचना के विपरीत कार्य किया। अधिसूचना के खंड 6(क) के अनुसार, महिलाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाना है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित हैं। आरक्षण क्षैतिज और श्रेणी वार दिया जाना है। यदि किसी विशेष श्रेणी में महिला उम्मीदवारों के लिए सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना है। हालाँकि, प्रतिवादी विभाग ने सामान्य महिलाओं के पदों को सामान्य पुरुष उम्मीदवारों से भरने के बजाय आरक्षित श्रेणियों की महिलाओं से भर दिया।

2.8. सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए 61 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन सामान्य वर्ग की केवल 14 महिलाएं ही इस पद पर भर्ती के लिए उपयुक्त पाई गईं। शेष सीटें अन्य श्रेणियों की महिलाओं से भर दी गईं। इसलिए यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिका कर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं और प्रति वादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है

4. याचिका कर्ताओं के विद्वान वकील के तर्कों का सार यह है कि चूंकि सामान्य वर्ग की महिलाएं उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए उनके लिए रिक्त रहे पदों को सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए था।

5. मैं याचिका कर्ताओं के वकील के तर्क की बेतुकी बातों से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ यह देखा जाना चाहिए कि सभी पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच एक ऊर्ध्व धर विभाजन किया गया था। इस ऊर्ध्व धर विभाजन का उद्देश्य महिला वर्ग के पदों को महिलाओं से भरना था, चाहे उन्हें क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया हो या नहीं। चूकि सामान्य वर्ग से पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए प्रति वादियों ने सामान्य

(30/05/2025 को सुबह 08:47:03 बजे डाउनलोड किया गया)

वर्ग के रिक्त पदों को महिला (अनुसूचित जाति) वर्ग में स्थानांतरित करके भर्ती करने का तरीका अपनाया।

6. यदि ऐसा होता कि किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होतीं, तो केवल पुरुष उम्मीदवार ही पदों पर अपना दावा पेश करते। चूकि ऐसा नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

7. बरखास्त.

8. लंबित आवेदन (आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

120-जितेंद्र/आर माथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं।

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate

(30/05/2025 को सुबह 08:47:03 बजे डाउनलोड किया गया)